

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.

Directorate of Gurudwara Election, Room No. 201-205, 2nd Floor, F-Block, Vikas Bhawan, New Delhi-2

AGENDA NOTICE

Whereas the undersigned has been appointed as Returning Officer by the Hon'ble Chief Secretary, Govt of Delhi as conveyed vide Order No. F.No AR/BKG/PCS/2017/391 dated : 1/09/2017 issued by Asstt. Registrar (Bkg.) O/o the Registrar Co-operative Societies, Delhi to hold the Election of the Board of Directors of the **THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.**, C-29 Community Centre, Panjha Road, Janakpuri, New Delhi-110058.

Now, therefore, I, **PARVINDER SINGH**, Returning Officer of the **THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.**, hereby call **SPECIAL GENERAL BODY MEETING** of the aforesaid Bank on 29/10/2017 (Sunday) at 8.15 A.M. in the premises of **Dr. Ambedkar Bhawan, (Opposite Videocon Tower), Rani Jhansi Road, Aram Bagh, New Delhi-110055** for the election of one (1) Post of Chairman, One (1) Post of Vice Chairman and Thirteen (13) Posts of Directors, (out of which two posts of Director are reserved for women candidates as per DCS Act, 2003 and Rules framed there under). The term of the Board of Directors shall be 3 (three) years.

ELECTION PROGRAMME

S.NO.	PROGRAMME	DATE	TIME	VENUE
1.	Issue of Nomination forms (Free of cost)	12.10.2017	11.00AM to 4.00PM	Directorate of Gurudwara Election Room No. 201-205, F-Block, 2nd Floor Vikas Bhawan, New Delhi-110002
2.	Filing of Nominations	14.10.2017	11.00AM to 4.00PM	-As Above
3.	Scrutiny of Nominations	16.10.2017	2.00 PM	-As Above
4.	Display of List of Valid Nominations	16.10.2017	5.00PM	-As Above
5.	Withdrawal of Nominations	17.10.2017	Up to 4.00 PM	-As Above
6.	Display of the final list of Contesting Candidates	17.10.2017	5.00PM	-As Above
7.	Poling if necessary	29.10.2017 (SUNDAY)	9.00AM to 5.00PM	Dr. Ambedkar Bhawan, (Opposite Videocon Tower), Rani Jhansi Road, Aram Bagh, New Delhi-110055

The nomination forms can be obtained free of cost from the office of the undersigned at O/o Directorate of Gurudwara Election, Room No. 201-205, 2nd Floor, F-Block, Vikas Bhawan N. Delhi-2 on 12-10-2017 (Thursday) 11.00 AM to 4.00 PM The Nomination forms duly filled alongwith security deposit of Rs. 5000/- (Rupees Five Thousand Only) in cash/pay order demand draft should be handed over to the undersigned by the candidate or proposer or seconder on the date and time mentioned above. A person shall not be eligible to contest election for two posts simultaneously. In case, a member submit his/her nomination for more than one post the member shall intimate his/her final choice to contest for one post, on the date of withdrawal, failing which all his/her nomination papers shall be deemed to have been cancelled, further, the Candidate Proposer & Secunder should not be a defaulter. A member shall not be eligible to contest election if he/she has not completed a minimum period of one year from the date of acquiring membership in the Bank to the date of filing of the nomination. In case the candidate gets less than 1/6th of the total votes polled, the security deposit shall be forfeited.

The list of members of the aforesaid bank shall be displayed at the Office of the undersigned and at the Notice Board of the Administrative Office of The Kangra Co-operative Bank Ltd. Members can obtain a copy of the list of members from the Office of the Bank at C-29, Community Centre, Panjha Road, Janak Puri, New Delhi on payment of prescribed fee, as per provisions of Delhi Co-operative Societies Rules, 2007.


SPECIAL NOTE

The Meeting for the purpose of holding election of Board of Directors of the aforesaid Bank shall start on 29/10/2017 (Sunday) at 8.15 AM in the premises of **Dr. Ambedkar Bhawan, (Opposite Videocon Tower), Rani Jhansi Road, Aram Bagh, New Delhi-55**, If the quorum of the meeting is not completed upto 8.45 AM., the meeting shall be adjourned for 15 (Fifteen) minutes i.e from 8.45 AM to 9.00 AM. at the same place & after the adjourned meeting, the voting shall take place from 9.00 AM to 5.00 PM on 29/10/2017 (Sunday). In the adjourned meeting, no quorum shall be necessary in terms of Rule 48 (3) of the DCS Rules, 2007.

COUNTING OF VOTES


The counting of votes will start immediately after the polling is over and the result will be declared immediately after the counting.

Dated : 25/09/2017


(PARVINDER SINGH)
 RETURNING OFFICER

Copy to :-

- All the Members of the Bank as per list provided.
- The CEO, The Kangra Co-operative Bank Ltd. C-29, Community Centre, Panjha Road, Janakpuri, New Delhi-110058.
- Notice Board of the Returning Officer.
- Notice Board of Head Office & All Branches of the Bank through CEO of the Bank.
- The Registrar/Assistant Registrar (Banking),
O/o The Registrar Co-operative Societies, Parliament Street, New Delhi - 110001


(PARVINDER SINGH)
 RETURNING OFFICER

Note:- As per provisions of the DCS Act, 2003 & The DCS Rules, 2007, the defaulter members are neither eligible to contest to election nor entitled to cast their votes. However, in case they make payment of their dues before the date of filing of nomination to the Bank and produce the proof thereof before the undersigned, they will not be treated as defaulter and shall be allowed to contest the election and cast their votes. It is to inform that Bank has supplied list of defaulter members which is available with the Return Officer and also displayed at the Notice Board of RO/Head Office & All Branches of the Bank. Members are advised to check the list of default to avoid any inconvenience at the time of filing of nominations and at the time of polling. It is further informed that no person shall be eligible to contest election if he incurs disqualification as laid down w/ 54 of the DCS Rules, 2007.

All the members are requested to bring the proof of their identification like Membership card issued by the Bank. Photo Identity Card/Driving Licence/Passport or any other relevant document for their identification to avoid any inconvenience in casting their vote.

दि कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि०

दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय, कमरा न० 201-205, दूसरी मंजिल, एक ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली-2

एजेन्डा नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को माननीय मुख्य सचिव दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 के अनुसार संख्या एक न० ए.आर./बी.के.जी./आर.सी.एस./2017/391 दिनांक - 1.9.2017 जो कि सहायक पंजीयक, कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियां दिल्ली द्वारा जारी किया गया, के तहत दि कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि० सी - 29, कम्यूनिटी सेंटर पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058, की पूरी प्रबन्धक समेटी का चुनाव कराने हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसी आदेश के अन्तर्गत मैं, परविन्दर सिंह, निर्वाचन अधिकारी, दि कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि० दिनांक 29.10.17 (रविवार) को प्रातः 8.15 बजे उपरोक्त बैंक की विशेष आम सभा बुलाने की घोषणा करता हूँ। यह विशेष आम सभा डा० अम्बेडकर भवन, विपरीत विडियोकोन टॉवर, रानी झांसी रोड, अराम बाग, नई दिल्ली-55, में होगी। इसमें (1) चेयरमैन, एक (1) जॉइंट चेयरमैन और तेरह (13) निदेशक (जिनमें दो निदेशक पद दिल्ली सहकारिता अधिनियम 2003 और जो इसके अन्तर्गत नियम बने हैं के अनुसार महिला सदस्यों के लिए आरक्षित हैं) का चुनाव होगा।

चुनाव कार्यक्रम

क्रम	कार्यक्रम	तारीख	समय	स्थान
1	नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए (निःशुल्क)	12-10-2017	11-00 बजे से सायं 4 बजे तक	दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय, कमरा न० 201-205, दूसरी मंजिल, एक ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली-2
2	नामांकन पत्रों को दाखिल करना	14-10-2017	11-00 बजे से सायं 4 बजे तक	उपरोक्त
3	नामांकन पत्रों की जांच	16-10-2017	दोपहर 2 बजे	उपरोक्त
4	सही पाए गए नामांकन पत्रों की सूची प्रदर्शित करना	18-10-2017	सायं 5 बजे	उपरोक्त
5	नामांकन पत्र वापिस लेना	17-10-2017	सायं 4 बजे तक	उपरोक्त
6	चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की अंतिम पैघ सूची का प्रदर्शन	17-10-2017	सायं 5 बजे	उपरोक्त
7	मतदान (यदि आवश्यक हुआ तो)	29-10-2017 (रविवार)	प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक	डा० अम्बेडकर भवन, विपरीत विडियोकोन टॉवर, रानी झांसी रोड, अराम बाग, नई दिल्ली-55,

नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरकारी के कार्यालय, कमरा न. 201-205, एक-ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली-2 से 12.10.2017 (गुरुवार) को 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। नामांकन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् रु. 5000/- (पाँच हजार रुपये) नकद/ पे आर्डर/ डिमान्ड ड्राफ्ट जमानत की राशि के साथ उम्मीदवार, प्रस्तावक या समर्थक द्वारा को दिये गए समय व तिथि पर अधोहस्ताक्षरकारी के पास जमा कराए जाएंगे। कोई उम्मीदवार दो पदों के लिए एक साथ चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा। यदि कोई सदस्य अपना/अपनी नामांकन एक से ज्यादा शीट के लिए दता है तो नाम वापस लेने की तिथि को सदस्य अपना/अपनी अंतिम पसन्द की एक शीट की सूचना दे ऐसा न किए जाने पर उसका/उसके नामांकन पत्र निरस्त माने जायेंगे। उम्मीदवार, प्रस्तावक और समर्थक भी बाकीदार नहीं होने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि तक बैंक में सदस्यता प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष पूरा नहीं किया तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर कोई उम्मीदवार काल चुनाव में पडे मतों का 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करता है, तो उसकी जमानत राशि जप्त हो जाएगी।

बैंक के सदस्यों की सूची कार्यालय, अधोहस्ताक्षरकारी के कार्यालय और दि कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि० के प्रधान कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी। इच्छुक सदस्य, सदस्यों की सूची बैंक के प्रधान कार्यालय से निरिधत फीस देकर दिल्ली सहकारिता अधिनियम 2003 और इसके अन्तर्गत जो नियम बने हैं, के अन्तर्गत नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।

विशेष सूचना

विशेष आम सभा उपरोक्त बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव कराने के उद्देश्य के लिए दिनांक 29.10.17 (रविवार) को डा० अम्बेडकर भवन, विपरीत विडियोकोन टॉवर, रानी झांसी रोड, अराम बाग, नई दिल्ली-55 में प्रातः 8.15 बजे प्रारंभ होगी। मीटिंग का कोरम (वांछित सदस्य संख्या) पूरा होने का समय 30 मिनट अर्थात् प्रातः 8.45 बजे तक होगा। किन्तु यदि कोरम पूरा नहीं हुआ तो सभा को प्रातः 8.45 बजे से 9.00 बजे (15 मिनट) तक के लिए स्थगित कर दी जायेगी। तदोपरांत उसी दिन प्रातः 9.00 बजे उसी स्थान पर मतदान प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो सायं 4.00 बजे तक धलेगा। दिल्ली सहकारी समितियां नियम 2007 के नियम 48 (3) के अनुसार ऐसी स्थिति सभा में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

मतों की गणना

मतदान पूरा होने के तुरंत बाद मतों की गणना की जाएगी तथा गिनती होने के बाद तुरन्त परिणाम घोषित किया जायेगा।

दिनांक: 25-9-2017

(परविन्दर सिंह)

निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपि :-

- 1 बैंक द्वारा दी गयी सूची के अनुसार प्रत्येक सदस्य को प्रतिलिपि।
- 2 दि कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि० सी - 29, कम्यूनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली - 58
- 3 सूचना पट्ट, कार्यालय निर्वाचन अधिकारी।
- 4 बैंक के सी ई ओ के द्वारा बैंक के प्रधान कार्यालय और बैंक की सभी शाखाओं को सूचना पट्ट के लिए।
- 5 रजिस्ट्रार/एक्सिस्टेंट रजिस्ट्रार बैंकिंग कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियां, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001

(परविन्दर सिंह)

निर्वाचन अधिकारी

नोट :- दिल्ली सहकारिता अधिनियम 2003 एवं दिल्ली सहकारिता नियम 2007 के अनुसार बाकीदार सदस्यों को न तो चुनाव लड़ने का अधिकार है और न ही वे मतदान कर सकते हैं। यदि वे अपनी बकाया राशि बैंक में नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन से पूर्व जमा करा देते हैं और इसका सबूत अधोहस्ताक्षरकारी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें बाकीदार नहीं माना जायेगा और चुनाव लड़ने का और उनको मतदान का अधिकार दिया जाएगा। यह सूचित किया जाता है कि बैंक के द्वारा दी गई डिफाल्टर सदस्यों की सूची निर्वाचन अधिकारी के पास उपलब्ध है, तथा निर्वाचन अधिकारी और बैंक के मुख्य कार्यालय और सभी शाखाओं को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की गई है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि नामांकन पत्र भरने के समय एवं मतदान के समय किसी भी असुविधा से बचने के लिए डिफाल्टर सूची को देख लें। यह भी सूचित किया जाता है कि दिल्ली सहकारिता नियम 2007 की धारा 54 के अनुसार अधोहस्ताक्षरकारी द्वारा चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा।

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे मतदान के समय किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी सदस्यता प्रमाणित करने के लिए अपने बैंक द्वारा जारी मेम्बरशिप कार्ड/कोटी पहचान पत्र/पासपोर्ट/आईडिपिंग लाइसेंस या अन्य सम्बन्धित कागजात अपने साथ लायें।